

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... S.D.O ..... मुकाम ..... बरौरा (S.O.)  
 किस्म मुकद्दमा ..... आ. अकर ..... बनाम ..... आ. अकर  
 नं. .... 39/18 ..... सन् .....

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 14/5/18    | <p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>पण्डे</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>रुक्मा देवी लक्ष्मी एवं अश्विनी</u> <u>ग्राम सीमा विवाद को पण्डे द्वारा शापक सहाय से बरबाद करवाना चाहते थे</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>पण्डे</u></p> <p>① रुक्मा / लक्ष्मी सीमा<br/>698/1 0.02 —</p> <p>② अश्विनी देवी सीमा<br/>698/1 0.02 —</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> |  |

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS  
 पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 बडीसादडी (राज.)



Web Copy - Not Official